



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1847/Type Approval No. 1847

मद/FOR ITEM: नॉन रिटर्न वाल्व (एन आर वी), व्यास 25 मि.मी,

पार्ट सं. ए1के-आई5-1050-000-001/

Non Return Valve (NRV) Dia 25mm, Part No. A1K-I5-1050-000-001

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलूरु - 560 017, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), बी-36, चंदका इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. केआईआईटी(50), भुवनेश्वर, उड़ीसा - 751 024, द्वारा उत्पादित " नॉन रिटर्न वाल्व (एनआरवी) व्यास 25 मि.मी", पार्ट सं. ए1के-आई5-1050-000-001, को असंब्ली आरेखन सं. ए1के-आई5-1050-000-001, इश्यू-शून्य, दिनांक 21 मई 1997 के अनुसार एच जे टी-36 (आईजेटी) वायुयान के ईंधन प्रणाली में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश रिपोर्ट सं. डी/एजीएम(डी-एमटीएम)/202/019/2003, इश्यू-शून्य, संशोधन सं.1, दिनांक 15 मई 2014 और टेस्ट शेड्यूल सं. ए1के-आई5-1050-007-000, इश्यू-शून्य, दिनांक 13 जनवरी 1994 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Non Return Valve (NRV) Dia 25mm" bearing the Part No. A1K-I5-1050-000-001 designed & developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru - 560 017 and manufactured by M/s. Central Tool Room and Training Center (CTTC), B-36, Chandaka Industrial Area, P.O - KIIT(50), Bhubaneshwar, Orissa - 751 024, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No. A1K-I5-1050-000-001, Issue-Nil, Dated: 21st May 1997 for use on HJT-36 (IJT) Aircraft Fuel system. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft), as per Technical Specification Report No. D/AGM(D-MTM) /202/019/2003, Issue-Nil, Amendment No.: 01, Dated: 15th May 2014 & Test Schedule No. A1K-I5-1050-007-000, Issue-Nil, Dated: 13th Jan 1994. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1847

दिनांक/Date : 18 Dec 2014

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Phural

(पी.जयपाल /P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)

18/12/14